FORM No. III

कार्ड अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत: उपखण्ड अधिकारी मुकाम: नीमराना (अलवर)

ओमप्रकाशसिंह बनाम सरकार

किस्म मुकदमा: इस्त दावा नं० 55 सन् 6-3-2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6-3-19 आज यह वाद पत्र वकील वादी ने पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन व जरिये डाक तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दि 11-4-19 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.	
	11-4-19 आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय हाजिर आये। प्रतिवादीगण के उक्त वकील पेश की गयी। कागजात नहीं। पत्रावली जवाब/ रोक तलबी दिनांक 9-5-19 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.	
	9-5-19 आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय कार्य स्थगित पीठासीन अधिकारी अवकाश/ मीटिंग में पधारे है। पत्रावली उनके समक्ष दि 31-7-19 को पेश हो।	
	31-7-19 आज पत्रावली पेश हुई। वादी के वकील उपस्थित है ...... का समय चाहते है। पत्रावली वास्ते ...... तलबी को दिनांक 23-8-19 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी तह. नीमराना अलवर	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम व मैं जा
21-11-24	आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ न कार्य स्थगित कर रखा है। पक्षकारान् [illegible] पत्रावली दि० 25-11-24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी, नीमराना	
25-11-24	ज वह पत्रावली पेश हुई वादी के ील उपस्थित है. वकील को समय चाहते है। पत्रावली वास्ते वकील/बहस दिनांक 13-2-25 को पेश है। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)	[हस्ताक्षर] 25/11
13-2-25	आज वह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशितानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15-5-25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] रीडर	
15-5-25	आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पत्रीकेन श्री पीठासीन अधिकारी अवकाश/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली उनके समक्ष दि० 29-7-25 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
29-7-25	आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी वकील ने वाद को नोट प्रेस में खारीज करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वादी का वाद नोट प्रेस में खारीज किया जाता है। पत्रावली कौसल शुमार सेवर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)	

Not press

श्री......प्रमोद सैनी
वकील द्वारा प्रस्तुत कार्यालय रिपोर्ट हो।
दिनांक 6/3/19 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

।। श्री : ।।

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय नीमराना जिला अलवर राजस्थान

राजस्व वाद संख्या 55 सन 6-3-2019

1- ओमपालसिंह उम्र साल पुत्र श्री भागीरथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

---- वादी

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अलवर राजस्थान

2- भूमिधारी तहसीलदार साहब कार्यालय नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर

-- प्रतिवादीगण

दावा - इस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्रीमान,

वाद पत्र निम्नलिखित श्रीमान की सेवामें प्रस्तुत है :-

1- यह कि वादी ग्राम गिगलाना तहसील नीमराना जिला अलवर का निवासी है।

2- यह कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1770 रकबा 0-87 ऐयर वाके ग्राम गिगलाना तहसील नीमराना है जिसे वाद पत्र के समस्त पदों में आराजी मुत्नाजा से संबोधित किया जा रहा है।

3- यह कि वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित आराजी में से 3) बीघा अर्थात 0-75 ऐयर पर वादी के बुजुर्गान बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम से पूर्व से ही मौकि रूप से काबिज रह कर काश्त करते रहे और अपना जीवकोपार्जन करते रहे जो अनपढ़ व काश्तकार पेशा थे जिनको इस बात की जानकारी नहीं रही कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत जो काश्त कर रहा है वही उसका खातेदार माना जावेगा । इसलिये उन्होने कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया । लेकिन सन 1998 के खसरा परिवर्तन के इन्द्राज के मुताबिक वादी को इस विवादित आराजी पर अतिक्रमी नहीं माना गया है। उस सूरत में वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लिहाजा दावा इस्तकरारहक किया जाना लाजिम आया जो न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वादी इस आशय की डिक्री न्यायालय श्रीमान से प्राप्त करने का मुस्तहक है कि वादी को खसरा परिवर्तन के आधार पर आराजी खसरा नम्बर हाल 1770 रकबा 0-87 ऐयर में से 0-75 ऐयर का खातेदार घोषित किया जावे ।

ओमपालसिंह